न्यायालय :माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी- 3843/2018/ भिण्ड/ भू.रा

1- वलवीरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह,

2- ओमकारसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह,

3- ओमवीरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह,

4- भीमसिंह पुत्र श्री उदयसिंह,

5- शिववीरसिंह पुत्र श्री उदयसिंह,

6- रामनरेश पुत्र श्री भैयासिंह,

7- मोहनसिंह पुत्र श्री लज्जारामसिंह,

सभी जाति ठाकुर, निवासीगण ग्राम लेपा तेहसील अम्बाह, जिला मुरैना

--- आवेदकगण

बनाम

1- अमरसिंह पुत्र श्री भीकमसिंह चौहान,

2- फेरनसिंह पुत्र श्री भीकमसिंह चौहान,

3- होशियारसिंह पुत्र भीकमसिंह चौहान, समस्त निवासीगण ग्राम कोला, पो0 सहसों परगना चकरनगर, जिला इटावा (यू0पी0)

4-सत्यवती पुत्री भीकमसिंह पत्नि सुन्दरसिंह तोमर,

5- मुन्नीदेवी पुत्री भीकमसिंह पत्नि किशनपाल तोमर, निवासीगण ग्राम लेपा, तेहसील अम्बाह, जिला मुरैना

6- ममता पुत्री भीकमसिंह पत्नि शिशुपालसिंह तोमर, निवासी ग्राम कौंथर बडी ,तेहसील अम्बाह, जिला मुरैना

--अनावेदकगण

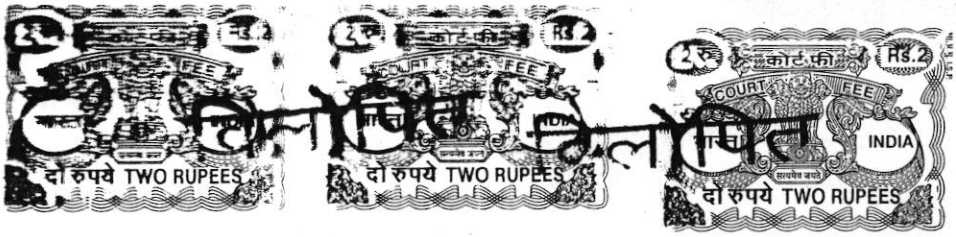

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 17/05/2018 पारित द्वारा पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड, के प्रकरण क्रमांक 65/2015–16 अपील वउनवान अमरसिंह आदि वनाम वलवीरसिंह आदि

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न लिखित प्रस्तुत है–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :</u>

(अ) यहकि, विवादित कृषि भूमि स्थित ग्राम विसवासी, तेहसील गोहद जिला भिण्ड के सर्वे क्रमांक 256 रकवा 0–63,सर्वे क्रमांक 257रकवा 0–77, 258 रकवा 4–79,259 रकवा 1–210, 260 रकवा 0–610, 261 रकवा 0–680, 262 रकवा 0–850, 263 रकवा 0–460,में भीकमसिंह का 1/3 हिस्सा था, जिसके भीकमसिंह स्वामी थे, भीकमसिंह द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 24/04/64को कमलसिंह एवं प्रतापसिंह जो आवेदकगण के पिता व पूर्वज थे को विक्रय कर दी गयी थी तथा उक्त भूमि का आधिपत्य भी [redacted] एवं प्रतापसिंह को उक्त विक्रय दिनांक को ही दे दिया गया था तभी से कमलसिंह एवं प्रतापसिंह उक्त भूमि पर आधिपत्यधारी होकर स्वामी की हैसियत से कृषि कार्य करते रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात से आवेदकगण ही उक्त भूमि पर काविज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि पर आवेदकगण का आधिपत्य होकर कृषि कार्य कर रहे है।

(ब) यहकि, अनावेदक क्र01 लगायत 3 अपने पुश्तैनी ग्राम कोला तेहसील चकरनगर, जिला इटावा यू0पी0में निवास कर रहे हैं। तथा अनावेदक क04 व 5 अनावेदक क्र01 व 3 की बहिनें है जो आवेदकगण के गांव में ही व्याही है तथा अनावेदिका क्रमांक 6 ग्राम कोंथर बडी में व्याही है जो अपनी ससुराल में अपने परिवार के साथ निवास कर रही है, अनावेदकगण का उक्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3843/2018/ भिण्ड /भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	